भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3106
दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड

3106. **श्री अनिल यशवंत देसाईः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्य देशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता के बिना भारत आने के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक(ओसीआई) कार्ड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी तीसरे देश में ओसीआई कार्ड खो जाने की स्थिति में शीघ्र भारत लौटने के लिए भारतीय दूतावास से डुप्लिकेट ओसीआई कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है;

(घ) तीसरे देशों में फंसे ओसीआई कार्डधारकों की सहायता के लिए भारतीय दूतावासों को क्या दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ड.) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसे कितने मामले सामने आए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) एवं (ख) प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड एक आजीवन वीज़ा है जो गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय मूल के व्यक्तियों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों को जारी किया जाता है। ओसीआई कार्डधारक प्रवास अवधि संबंधी किसी प्रतिबंध के बिना भारत की यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास अपनी वर्तमान नागरिकता/राष्ट्रीयता से संबंधित देश द्वारा जारी वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट) हो।

(ग) किसी व्यक्ति का ओसीआई कार्ड खो जाने की स्थिति में, वह ओसीआई विविध सेवाओं के अंतर्गत वेबसाइट https://ociservices.gov.in/ पर ओसीआई कार्ड पुनः जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(घ) विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र ऐसे मामलों को संज्ञान में लाए जाने पर हर संभव सहायता और सुविधा प्रदान करते हैं। ओसीआई कार्ड धारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे मामलों के समाधान हेतु विदेश में अपने वर्तमान प्रवास स्थान के अधिकार क्षेत्र में स्थित दूतावास/कोंसलावास से संपर्क करें।

(ड.) इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

*****